आकाशवाणी, गोरखपुर

दिनांक–25 जुलाई 2024 **सान्ध्य समाचार**

प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में निरस्त की गई पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखें घोषित कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के साठ हजार दो सौ चौवालीस पदों पर सीधी भर्ती– की लिखित परीक्षा अब तेइस, चौबीस और पच्चीस अगस्त एवं तीस और इकतीस अगस्त दो हजार चौबीस को आयोजित कराने का निर्णय किया गया है। पेपर लीक के आरोपों के चलते छात्रों की मांग पर यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा निरस्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया था कि यह परीक्षा छः माह के अंदर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के अनुसार पुनः आयोजित कराई जाए।

जन्माष्टमी त्योहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है। सम्बन्धित तिथियों पर प्रतिदिन दो पालियों में यह परीक्षा संपन्न कराई जाएगी तथा प्रत्येक पाली में लगभग पांच लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से निःशुल्क बस सेवा की सुविधा दी जायेगी।

अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इसका लाभ ले सकते है, जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त दो प्रतियां डाउनलोड करनी होगी तथा उसकी एक प्रति परीक्षा केंद्र के जिले तक की यात्रा के लिये एवं दूसरी प्रति परीक्षा के बाद अपने जिले तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश–दो हजार चौबीस एक जुलाई, दो हजार चौबीस को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना जैसे कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ रूपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकते है।

****

उन्तीस जुलाई से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानमण्डल के मॉनसून सत्र में प्रदेश सरकार दो हजार चौबीस–पच्चीस का पहला अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। इसके माध्यम से प्रदेश सरकार प्रयागराज कुंभ की तैयारियों के लिये धनराशि का आवंटन करेगी साथ ही, अन्य विभागों की जरूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिये भी अनुपूरक बजट में प्राविधान किया जायेगा। वित्त विभाग की ओर से अनुपूरक बजट लाने की तैयारियां शुरू कर दी गयी है।

****

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने भीड़ प्रबंधन और भगदड़ से बचाव के लिए एसओपी जारी की है। एसओपी के तहत अब यूपी में जिला, रेंज और जोन स्तर पर अलग–अलग एकीकृत प्रणाली बनेगी। डीएम, सीएमओ, सिविल डिफेंस, फायर बिग्रेड और स्थानीय पुलिस के स्तर पर नियमित रूप से इंटिग्रेटेड सिस्टम को अपडेट किया जाएगा। हाथरस की सत्संग भगदड़ जैसी घटना दोबारा न हो, इसका प्रयास किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि कार्यक्रमों की अनुमति देने वाले अधिकारी और स्थानीय पुलिस पहले से चेक करें कि कार्यक्रम स्थल पर कोई खतरा नहीं है और आवागमन सुगम है।

****

एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोर्डिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आज भोर में बलिया के नरही थाना क्षेत्र स्थित यूपी–बिहार बॉर्डर के भरौली चौराहा पर छापा मारा। टीम ने इस दौरान अवैध वसूली के बड़े रैकेट का खुलासा किया साथ ही दो पुलिसकर्मियों और सोलह दलालों को गिरफ्तार किया। डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण के मुताबिक इस कार्रवाई में कुल आठ पुलिसकर्मी और सोलह दलालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में पता चला है कि भरौली चौराहा पर दलालों की मदद से ये पुलिसकर्मी रोजाना एक हजार ट्रकों से पांच–पांच सौ रूपये की अवैध वसूली करते थे।

****

नये निजी स्कूल खोलने, नये विषय शुरू करने और सेक्शन बढ़ाने की मान्यता के लिये शासन ने अब चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा आलोक कुमार की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गयी है। अभी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनायी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव इसके पदेन सदस्य सचिव होते थे लेकिन नये विद्यालयों को मान्यता देने में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिये शासन ने इसकी कमान अपने हाथ में ले ली है।

****

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल सुल्तानपुर के एमपी–एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। वर्ष दो हजार अट्ठारह में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी मामले में कल राहुल गांधी का बयान दर्ज होना है।

****